रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 385] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 1987/श्रावण 6, 1909
No. 385] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 1987/SRAVANA 6, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1987

अधिसूचनाएं

सं० 283/87-सीमा-शुल्क

का० आ० 744(अ):—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में पश्चिमी गोदावरी जिले में वानगुरु ग्राम को शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए भाण्डागार केन्द्र घोषित करता है।

[सं० 474/21/87-सीमाशुल्क-VII]

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 28th July, 1987

NOTIFICATIONS

No. 283|87-CUSTOMS

S.O. 744(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Village Vanguru in West Godavari District in the State of Andhra Pradesh to be a warehousing station for the purposes of setting up hundred per cent export-oriented units.

[F. No. 474|21|87-CUS. VII]

सं० 284/87-सीमाशुल्क

का० आ० 745(अ):—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के मेडक जिले के तुप्रान मंडल में ब्रह्मनंपल्ली ग्राम को शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए भाण्डागार केन्द्र घोषित करता है।

[फा० सं० 474/23/87-सीमाशुल्क-VII]

एम० मायकल, अवर सचिव,
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

No. 284|87-CUSTOMS

S.O. 745(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Village Brahmanpally in Toopran Mandalam in Medak District in the State of Andhra Pradesh to be a warehousing station for the purposes of setting up hundred per cent export-oriented undertakings.

[F. No. 474|23|87-CUS. VII]

M. MICHAEL, Under Secy.
Central Board of Excise and Customs

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987